



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION
E-Mail : acbhopal@yahoo.com

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल (म0प्र0)
Opp. Maida Mills,
Bhopal - 462 011.

फा. 14050/2016/केविसं/भोपाल/ 6694

दिनांक : 19/01/2016

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.11029-16/केविसं/मुख्यालय/प्रशासन-1/168 दिनांक 09/02/2011 के माध्यम से परिचालित किए गए भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्थापना(डी) दिनांक 19/05/2009 के अंतर्गत एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में गठित विभागीय छानबीन/पदोन्नति समिति (Departmental Screening/ Promotion Committee) की बैठक दिनांक 18/01/2016 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में की गई अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित अशैक्षणिक कर्मचारियों को जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं उनके संबंधित वर्ग में उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाये गये कॉलम संख्या 06 में अंकित की गई दिनांक से संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACP) के तहत कॉलम संख्या 08 में दर्शाये गये पे बैंड, वेतनमान एवं ग्रेड वेतन में वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

Sl. No	Name of Employee	Name of KV	Date from which the present post on regular basis is held	Date of initial appointment on regular basis and designation	Date of eligibility for MACP	No. of MAC P Ist /IInd / IIIrd	Pay Band with Pay Scale & Grade Pay ₹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UDCs (TOTAL - 01 CASES)							
1.	SH RAJESH TRIPATHI	RO BHOPAL	26/03/1996 UDC	29/08/1986 LDC	26/03/2016	IIIrd	9300-34800 GP 4200
SUB STAFF (TOTAL-15 Cases)							
1.	SH JAINARAYAN KHOIWAL	RATLAM	15/05/1995 SUB STAFF	15/05/1995 SUB STAFF	15/05/2015	II	5200-20200 GP 2000
2.	SH PUSHKAR LAL KAGDE	RATLAM	17/05/1995 SUB STAFF	17/05/1995 SUB STAFF	17/05/2015	II	5200-20200 GP 2000
3.	SH ASHOK KUMAR	SARNI	06/01/1996 SUB STAFF	06/01/1996 SUB STAFF	06/01/2016	II	5200-20200 GP 2000
4.	SH PRAKASH KUMAR JAGTAP	KHANDWA	03/01/1996 SUB STAFF	03/01/1996 SUB STAFF	03/01/2016	II	5200-20200 GP 2000

Cont'd.....2/-

5.	SH RAM KISHAN PAL	GUNA	22/04/1995 SUB STAFF	22/04/1995 SUB STAFF	22/04/2015	II	5200-20200 GP 2000
6.	SH U.K. KULSHRESHTHA	NO.3 BHOPAL (1st Shift)	22/06/2004 LAB.ATDT.	16/12/1985 GR.D	16/12/2015	III	5200-20200 GP 2400
7.	SH MUKESH REEL	BURHANPUR	03/01/1996 SUB STAFF	03/01/1996 SUB STAFF	03/01/2016	II	5200-20200 GP 2000
8.	SH BABULAL SISODIA	DHAR	20/07/1995 SUB STAFF	20/07/1995 SUB STAFF	20/07/2015	II	5200-20200 GP 2000
9.	SH RAJENDRA CHOLKAR	NO.1 BHOPAL	01/04/1985 LAB.ATDT.	01/04/1985 LAB.ATDT.	01/04/2015	III	5200-20200 GP 2400
10.	SH PRABHAKAR TAGDE	NO.1 BHOPAL	26/12/2003 LAB.ATDT.	13/03/1985 GR.D	13/03/2015	III	5200-20200 GP 2400
11.	SH VINOD SHRAWAN	NO.1 BHOPAL	04/04/1995 SUB STAFF	04/04/1995 SUB STAFF	04/04/2015	II	5200-20200 GP 2000
12.	SH RADHESHYAM RATHORE	MHOW	22/06/2004 LAB.ATDT.	24/03/1986 GR.D	24/03/2016	III	5200-20200 GP 2400
13.	SH HEERALAL JHODE	SARNI	01/10/2004 LAB.ATDT.	11/10/1985 GR.D	11/10/2015	III	5200-20200 GP 2400
14.	SH JAGDISH YADAV	ITBP SHIVPURI	22/04/1995 SUB STAFF	22/04/1995 SUB STAFF	22/04/2015	II	5200-20200 GP 2000
15.	SH ASHOK KUMAR	BAIRAGARH	01/04/2006 LAB.ATDT.	02/09/1985 GR.D	02/09/2015	III	5200-20200 GP 2400

कुल-16 (सोलह) प्रकरण

संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) का उद्देश्य केवल उच्च पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में पद स्थापना करना/वित्तीय लाभ प्रदान करना है तथा वास्तविक प्रयोजन प्रोन्नति के समान नहीं है और ना ही इस लाभ से उच्च पद पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा सिवाय जैसा कि इस योजना के तहत है। संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन पर संबंधित कर्मचारी का वेतन मूल नियमों एवं एमएसीपी योजना के तहत निर्धारित किया जाएगा।

()
(इसमेषाल)
उपायुक्त

प्रतिलिपि :-

1. **संबंधित कर्मचारी।** कृपया इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर अपना वेतन निर्धारण विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया गया वेतन निर्धारण विकल्प पत्र अंतिम होगा।

2.

प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके अपने विद्यालय के संबंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंप दें। संबंधित की व्यक्तिगत पुस्तिका में इस आदेश की एक प्रति नस्ती करते हुए एक प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा कर आवश्यक प्रविष्टि कर दें। संबंधित कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा किया जायेगा। अतः वेतन निर्धारण के लिये संबंधित की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भेजते समय संबंधित से वेतन निर्धारण विकल्प पत्र लेकर मूल प्रति में सेवा पुस्तिका में आदेश की छायाप्रति के साथ चस्पा कर प्रेषित करें। इस कार्यालय द्वारा विद्यालय से प्राप्त जानकारी/सूचना के आधार पर ही संबंधित कर्मचारियों को संशोधित आश्वस्त वृत्ति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन स्वीकृत किया है। अतः उपर्युक्त आदेश से आपके द्वारा भेजी गई जानकारी/सूचना का मिलान कर लें एवं यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। संबंधित कर्मचारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय प्रोन्नति स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस ले लिया जायेगा। यदि संबंधित कर्मचारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो इस आदेश को या इसकी प्रमाणित प्रति उस केन्द्रीय विद्यालय में जहाँ पर वह कार्यरत है को तुरन्त प्रेषित करें।

3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।
5. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित ।


उपायुक्त

के०वि०सं०, क्षे०का०, भोपाल